(169)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा [म0प्र0]

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

737 31.X.14

R. 3887-III/14

जगन्नाथ यादव तनय गंगा प्रसाद यादव उम्र 65 साल पेशा कृषि

2. श्रीनिवास यादव तनय श्री गंगा प्रसाद यादव उम्र 60 साल पेशा कृषि

दोनो निवासी ग्राम मैदानी तहसील हुजूर जिला रीवा [म0प्र0]

श्री रामनरेश सिंह .एड द्वारा आज दिनांक 31.X.14 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

-----निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता

बनाम

1. रामसुख यादव तनय छोटे लाल यादव उम्र 50 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम मैदानी तहसील हुजूर जिला रीवा [म0प्र0]

2. शासन म0प्र0 ------------गैरनिगरानीकर्तागण

क्रमांक ____ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ____ को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

क्रमांक 3622 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 13-11-14 को प्राप्त
... ग्वालियर,
राजस्व ... ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर जिला रीवा जरिये प्रकरण क्रमांक 41/अ-12/12-13 आदेश दिनांक 8-2-13 मुताबिक धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 ।

- -

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर जिला रीवा [म0प्र0] के प्रकरण क्रमांक 41/अ-12/12-13 आदेश दिनांक 8-2-2013 विधि विरुद्ध है तथा कानूनगो द्वारा गलत नक्शा तरमीम की वजह से यह निगरानी श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है ।

2. यह कि आराजी नम्बर 21 निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता

रामनरेश

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3887/III/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	यह निगरानी तह० हुजूर जिला रीवा के प्र० क्रमांक 41/अ-12/12-13 आदेश दिनांक 8-2-13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ मे आक्षेपित आदेश दिनांक 8-2-13 का भी परिशीलन किया गया तथा संलग्न सीमांकन संबंधी अभिलेखो की प्रमाणित प्रतियों का परीक्षण किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि आक्षेपित आदेश के बिन्दु क्र० 3 में यह स्पष्टतः अंकित है कि आवेदक द्वारा सीमांकन के संबंध मे आपत्ति पेश की गई। पूर्व में आवेदन के साथ संलग्न नक्शा अनुसार सीमांकन किया जाकर दिनांक 7-10-11 को तरमीम किया जाकर किया गया। आक्षेपित आदेश के संदर्भ में सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 12-10-11 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रतिवेदन में भी अंकित किया गया है कि " स्थल पर चांदा पत्थर, या कोई स्थाई सीमा उपलब्ध न होने से पटवारी नक्शे के रेखा चित्र को मौके पर खेतों की सीमाओं से मिलान करते हुए माप की गई। आक्षेपित आदेश एवं सीमांकन	

[कृ. प. उ.

R. 3887/111/14 शेष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जगन्नाथ राम सुख यादव	

प्रतिवेदन से यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि सीमांकन मौके पर नक्शा तरमीम कर किया गया है, जबकि आवेदक की मुख्य आपत्ति यह है कि विवादित भूमि क्र० 21/4/1, 21/4/2, 21/4/3 21/1, 21/1/1, 21/1/2 का नक्शा तरमीम पूर्व में काफी समय पूर्व हो गया था; किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक की बिना जानकारी के नक्शा तरमीम कराया जाकर सीमांकन कराया गया है जो निरस्ती योग्य है जिसके संबंध मे प्रस्तुत आपत्ति का स्पष्ट निराकरण तह० द्वारा नहीं किया गया तथा आपत्ति को मौन रखते हुए निरस्त कर दिया गया।

आपत्ति के निराकरण के संबंध मे तह० द्वारा ओपन आदेश के पैरा 4 में मात्र यह अंकित कर कि आपत्ति का जवाब आवेदक द्वारा दिया गया जिसके अनुसार आवेदित भूमियो का सीमांकन मौके अनुसार किया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों से यह तो स्पष्ट है कि सीमांकन का कोई ऐसा स्पष्ट एवं अभिलेखीय आधार नक्शा तरमीम के संबंध मे प्रकट नहीं होरहा जिससे यह माना जा सके कि सीमांकन कार्यवाही किसी विधिक अभिलेख को आधार मानकर की गई है। इसके विपरीत आवेदकगण द्वारा भी ऐसा कोई विधिक आधार एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि आवेदक गण द्वारा पूर्व मे हुए नक्शा तरमीम को उठाई गई आपत्ति की पुष्टि हो सके।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर-

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.3887/II/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	(जगन्नाथ) कार्यवाही तथा आदेश रामसुख यादव	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.16	सीमांकन कार्यवाही दिनांक 7.10.11 एवं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 12.10.11 एवं उक्त सीमांकन कार्यवाही का पुष्टि आदेश दिनांक 8.2.13 स्पष्ट एवं तर्कसंगत तथा औचित्य पूर्ण न होने से प्रभावहीन घोषित किया जाता है तथा तह० को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को इस आदेश की सूचना के 15 दिवस के भीतर अपने-2 अभिलेखीय आधार (नक्शा तरमीम) संबंधी के साथ न्यायालय में बुलाकर सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान कर सीमांकन प्रकरण में नीतिगत आदेश पारित करें। पक्षकारान को भी आदेशित किया जाता है कि वे अपने-2 अभिलेखीय नक्शा तरमीम संबंधी अभिलेख के साथ उक्त नियत अवधि में पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना-2 पक्ष समर्थन करें। यदि विधिक अभिलेख आधार पर सीमांकन होना पाया जाता है तब सीमांकन आदेश दिनांक 8.2.13 यथावत रहेगा अन्यथा कि स्थिति में यह आक्षेपित आदेश आपास्त माना जावेगा। इस संबंध में तहसीलदार बोलता हुआ आदेश पारित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि यदि विधिक रूप से नक्शा तरमीम नहीं हुआ हो तो उभयपक्ष की ओर से आवेदन किए जाने पर नक्शा तरमीम की कार्यवाही का समान्त सरहदी एवं विधवद्ध	

[कृ. प. उ.

R. 3887/III/14 5 रवा

स्थान तथा दिनांक	न्यायाधीश कार्यवाही तथा आदेश प्रकरण क्रमांक	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कृषकों की उपस्थिति में विधिवत सूचना देकर पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधी०-न्याया० को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि०हो।	
	(हस्ताक्षर) सदस्य	